[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 15/2023- संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. ..... (अ)- केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के खंड (xiv) के साथ पठित, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017, (2017 का 12), की धारा 54 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 15/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 706 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, शुरुआती पैराग्राफ में, शब्दों, कोष्ठक, अक्षरों और अंकों के लिए "केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 2 की मद 5 के उप-मद (ख) में निर्दिष्ट" है शब्द, "एक परिसर, भवन या उसके एक हिस्से का निर्माण, जो खरीदार को पूरी तरह या आंशिक रूप से बिक्री के लिए है, जहां सेवा के प्राप्तकर्ता से ली गई राशि में भूमि का मूल्य या भूमि का अविभाजित हिस्सा शामिल है, जैसा भी मामला हो हो सकता है, सिवाय इसके कि संपूर्ण प्रतिफल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, जहां आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा या उसके पहले कब्जे के बाद, जो भी पहले हो, प्राप्त हो गया हो", प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[एफ.सं. सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:-मुख्य अधिसूचना क्रमांक. 15/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्या जी.एस.आर. 706(अ), दिनांक 28 जून, 2017. में प्रकाशित किया गया था।